बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध अनधिकृत रूप से कारा हस्तक नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध दिनांक 15.03.2015 को मंडल कारा, छपरा में बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आर्केस्ट्रा कराये जाने एवं अन्य कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2367 दिनांक 16.04.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 7754 दिनांक 10.12.2015 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 201 दिनांक 12.01.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार ने अपने पत्रांक 585 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि कारा में संसीमित बंदी के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा बाहरी व्यक्तियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आर्केस्ट्रा कराया गया और इस संदर्भ में जिलाधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई जो इनकी विफलता का द्योतक है। कारा हस्तक नियमावली में अंतर्विष्ट प्रावधानों से स्पष्ट है कि अधीक्षक सम्पूर्ण कारा का प्रशासनिक, नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है। कारा के अन्दर मोबाईल, बांस–बल्ला, म्यूजिक सिस्टम जैसे निषिद्ध वस्तुओं का प्रवेश होना, आरोपित के कारा पर एवं अपने अधीनस्थों पर प्रशासनिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। आरोपित द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण कारा की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी एवं बंदी पलायन/कारा भेदन की घटना घटित हो सकती थी।

4. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

(i) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर दो वर्षों तक रोक।

5. उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3705 दिनांक 22.06.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2025 दिनांक 04.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " देय तिथि से प्रोन्नति पर दो वर्षों तक रोक " का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (सम्प्रति अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर दो वर्षों तक रोक।

15

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/—
(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक— कारा/नि0को0(अधी0)—01—02/2015.....................दिनांक—.......................................

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक— कारा/नि0को0(अधी0)—01—02/2015 6461 दिनांक— 21-10-2016

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक कोषांग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/श्री सत्येन्द्र कुमार, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा—01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.10.16
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0)